SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या 17/2021-22

3 दिसंबर, 2021

परिपत्र

विषय : स्पाइसेस बोर्ड बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली के अधीन मसालों व मसाला उत्पादों के निर्यात परेषणों की अनिवार्य नमूनान व जांच - बाबत

संदर्भ : 1) परिपत्र संख्या 09/2021-22 दिनांक 2 सितंबर, 2021
2) परिपत्र संख्या 07/2021 दिनांक 18 अक्तूबर, 2021

स्पाइसेस बोर्ड ने संदर्भ (2) के तहत संसूचित परिपत्र के माध्यम से भारत से चीन को जीरा के निर्यात के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुमोदित नाशीजीवनाशी जांच रिपोर्ट की आगामी आवश्यकता के बारे में अधिसूचित किया था। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन सीमा शुल्क, चीनी जनवादी गणराज्य (जीएसीसी) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप, चीन को निर्यात के लिए बोर्ड की अनिवार्य शासन-प्रणाली के तहत जीरा में नाशीजीवनाशी अवशेषों की जांच को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अतः 13 दिसंबर, 2021 से चीन को जीरे के निर्यात की अनुमति केवल स्पाइसेस बोर्ड की अनुमोदित विश्लेषण रिपोर्ट के साथ दी जाएगी।

साथ ही, मिर्च और मिर्च उत्पादों को छोड़कर, जापान को निर्यात के लिए अनिवार्य परीक्षण की आवश्यकता वाले सभी श्रेणी के मसालों और मसाला उत्पादों के लिए विभिन्न नाशीजीवनाशी की अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। (कृपया अनुलग्नक 1 में पृष्ठ संख्या 5 से 8 देखें)

तदनुसार, उपरोक्त संदर्भ 1 के तहत उपलब्ध कराए गए मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक अनिवार्य जांच की सूची में संशोधन किया गया है और संशोधित मापदंडों और सीमाओं के साथ सूची को अनुलग्नक 1 के रूप में रखा गया है, जो 13 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगा।

मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 और मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989 के प्रावधानों के तहत जारी यह परिपत्र, इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अगले दिशा-निर्देश / अनुदेश निर्धारित किए जाने तक लागू रहेगा।

निदेशक(विपणन)

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776, फैक्स / Fax : 0484 2341935
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com

सेवा में,

मसाले और मसाला उत्पाद/निर्यातक संघों के सभी निर्यातक
भारत भर में सीमा शुल्क से संबंधित सभी आयुक्त/अधिकारी

प्रतिलिपि :

1) श्री एम एस बैनर्जी, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

2) स्पाइसेस बोर्ड के सभी कार्यालय/गुणवत्ता मूल्याणकन प्रयोगशालाएँ

3) उप निदेशक(ईडीपी), स्पाइसेस बोर्ड को बोर्ड के वेबसाइट में होस्ट करने हेतु

(फ़ाइल संख्या एसआरडी-एसएस/03/0002/2019 से जारी)